

URGENT

पत्र संख्या- परि० सामा० (17-18)/ 156

/ वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश  
(परिवाद अनुभाग)  
लखनऊ / दिनांक / मई, 11, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 18.04.17 को शासन स्तर पर विभागीय समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री उ०प्र० सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग में लम्बित शिकायतों के निस्तारण सम्बन्धी निर्देश के क्रम में मुख्यालय के पत्र संख्या- 69 दिनांक 25.04.17 द्वारा जोन स्तर पर लम्बित शिकायतों की आख्या एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु खेद का विषय है कि निर्धारित अवधि तक किसी भी जोन द्वारा आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है। यह स्थिति किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप अवगत हैं कि जन शिकायतों का समयबद्ध एवं त्वरित निस्तारण मा० मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता का बिन्दु है।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि जोन में लम्बित शिकायती प्रकरणों पर आख्या अब तक उपलब्ध न कराए जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के साथ जोन में लम्बित शिकायतों की आख्या (हार्डकॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी) सहित दिनांक 15.05.17 को सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(आन्जनेय कुमार सिंह)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ० प० संख्या व दिनांक उक्त ।

✓ ज्वाइंट कमिश्नर (आई०टी) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाइट के नोटिस बोर्ड तथा जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश की विभागीय ई-मेल आई०डी० पर अपलोड कराने हेतु।

ज्वाइंट कमिश्नर (परिवाद) वाणिज्य कर  
मुख्यालय, लखनऊ।